



संदर्भः आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/20/1/2023

Ref: IRDAI/F&I/CIR/20/1/2023

19 जनवरी, 2023 19th January, 2023

## <u>परिपत्र</u> CIRCULAR

विषयः विलगाव (डीमर्जर) के कारण जारी किये गये शेयरों के वर्गीकरण के संबंध में बीमा कंपनियों को स्पष्टीकरण

Sub: Clarification on classfication of shares issued by virtue of demerger to Insurance Companies

आईआरडीएआई निवेश विनियम, 2016 के विनियम 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरडीएआई निवेश मास्टर परिपत्र दिनांक 27 अक्तूबर 2022 के खंड 1.11 के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(क)(4) और 3(क)(5) के अंतर्गत निर्धारित रूप में "अलग हुई कंपनी" (डीमर्ज्ड कंपनी) के लिए लागू लाभांश मानदंडों की गणना प्रारंभिक दो वित्तीय वर्षों के लिए "अनुमोदित निवेश" अथवा "अन्य निवेश" के रूप में परिणामी निवेशिती कंपनी (कंपनियों) में ईिकटी शेयरों और अधिमानी शेयरों में निवेश के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

By virtue of the power conferred under Regulation 17 of IRDAI Investment Regulations, 2016, it is clarified that the dividend criteria as stipulated under Regulation 3(a)(4) and 3(a)(5) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 read with Clause 1.11 of IRDAI Investment Master Circular dated October 27, 2022 applicable to the "Demerged Company" shall be reckoned for the purpose of classification of investment, in equity shares and preference shares in Resulting Investee Company(s)", as "Approved investment" or "Other Investment", for initial two financial years.

(अम्मु वेंकटरमणा/Ammu VenkataRamana) महाप्रबंधक(वित्त व निवेश)/GM(F&I)